वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Web: www.vbspu.ac.in
Email:connectpureregistrar@gmail.com

प्रेषक : कुलसचिव
वी0बी0एस0पू0 विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक : 3192 / पू.वि.वि. / कु0स0 / 2024
दिनांक : 17 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / शिक्षकगण
विश्वविद्यालय परिसर।

2. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक
सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पू0वि0वि0,जौनपुर।

विषयः **समर्थ ई.आर.पी. के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय शासन के पत्र संख्या 2628 / सत्तर–3–2024 दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से शासन के पत्र संख्या 1149 / सत्तर–3–2024 दिनांक 24.05.2024 एवं 1168 / सत्तर–3–2024 दिनांक 28.09.2024 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराया गया है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से सभी विद्यार्थियों का नामांकन / इनरोलमेंट अनिवार्य रूप से समर्थ ई.आर.पी. के माध्यम से ही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भी अनिवार्य रूप से समर्थ ई.आर.पी. के माध्यम से ही भराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

विश्वविद्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से समस्त महाविद्यालयों एवं उनमें अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का लॉगिन समर्थ पोर्टल पर कराये जाने हेतु सूचित किया गया है किन्तु महाविद्यालयों द्वारा अद्यतन अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया **आप अपने महाविद्यालय एवं महाविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का लॉगिन समर्थ पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक 25.10.2024 तक कराना सुनिश्चित करें,** जिससे कि समस्त छात्र / छात्राओं का इनरोलमेंट, परीक्षा फार्म एवं प्रवेश पत्र पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही की जा सके साथ ही जिन छात्र–छात्राओं के परीक्षा फार्म समर्थ पोर्टल पर नहीं भरे गये हैं उनके रोल नम्बर एवं प्रवेश पत्र तभी जारी हो सकेगे जब छात्र–छात्राओं द्वारा समर्थ पोर्टल पर लॉगिन किया जायेगा। समर्थ पोर्टल पर स्टूडेन्ट लॉगिन न कराने की स्थिति में छात्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः निर्धारित अवधि तक छात्र–छात्राओं का समर्थ पोर्टल पर लॉगिन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्तअधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक को इस आशय से कि उपरोक्त प्रकरण पर अपने स्तर से भी मॉनीटरिंग करने का कष्ट करें।
3. डॉ0 आशुतोष सिंह, नोडल अधिकारी, समर्थ पोर्टल।
4. समस्त उप कुलसचिव।
5. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

<u>महत्वपूर्ण</u>

संख्या- 2628 /सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग-3</u>

विषयः समर्थ ई.आर.पी. के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1149/सत्तर-3-2024, दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या-1168/सत्तर-3-2024, दिनांक 28.05.2024 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश स्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से समर्थ ई.आर.पी. का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.05.2024 द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सभी विद्यार्थियों का नामांकन/इनरोलमेन्ट अनिवार्य रूप से समर्थ ई.आर.पी. के माध्यम से ही कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सभी विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भी अनिवार्य रूप से समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही भराया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की कार्यवाई की जायेगी।

भवदीय

Signed by Sipu Giri
Date: 14-10-2024 18:09:17
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन ।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री गिरि), उच्च शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।
5- डॉ0 संजीव सिंह, प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर, प्रोजेक्ट समर्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
6- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
7- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8- डॉ0 संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), स्था।
9- प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या– 1168 / सत्तर-3-2024

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव**, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 28 मई, 2024

विषय:– शैक्षणिक सत्र 2024–25 से समर्थ ई.आर.पी. के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1149/सत्तर–3–2024, दिनांक 24.05.2024 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ सभी राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से समस्त विद्यार्थियों का इनरोलमेन्ट/नामांकन अनिवार्य रूप से समर्थ ई.आर.पी. के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाना है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में यथोचित वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रकरण में नामित नोडल अधिकारी, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर गौतमबुद्धनगर, डॉ0 संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रूसा एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री गिरि), उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रो0 संजीव सिंह, नोडल अधिकारी, समर्थ पोर्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6– डॉ0 संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रूसा एवं प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सहयोग/समन्वय से वांछित कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।